



पत्रांक:ले०ह०-II/नि०वपें०स०(प्र०)/ग्रुप-II/परिपत्र/

दिनांक:28-09-2026

अति आवश्यक

सेवा में,

1. समस्त अधिशासी अभियन्ता/संबन्धित खंड
2. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/संबन्धित खंड

विषय: माह सितंबर, 2026 के मासिक लेखा प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भ में यह अवगत कराना है कि खण्डों में मासिक लेखे समय से न प्राप्त होने के कारण लेखा संकलन करने में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा राज्य लेखे में शामिल करने में विलम्ब होता है।

यद्यपि ससमय लेखा प्रेषित करने हेतु समय-समय पर पत्र प्रेषित किया जाता रहा है, किन्तु खण्डों द्वारा मासिक लेखा प्रेषित करने में अत्यन्त विलम्ब किया जाता है, जिसे महालेखाकार महोदय ने अत्यन्त गम्भीरता से लिया है तथा ससमय लेखा संकलन पूर्ण किए जाने हेतु निर्देशित किया है कि खण्डों से मासिक लेखा प्रत्येक दशा में प्रत्येक माह के **07 तारीख तक (मार्च के लेखे 15 तारीख तक)** इस कार्यालय में अवश्य प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

सुविधा की दृष्टि से यह भी अवगत कराना है कि अपरिहार्य परिस्थितियों में, निर्धारित समय-सीमा के भीतर मासिक लेखे (समस्त आवश्यक प्रपत्रों सहित) प्रेषित करने हेतु **DAG Cell** के आधिकारिक ई-मेल आईडी: **dagworkcell.up2.ae@cag.gov.in** का उपयोग किया जा सकता है। ई-मेल के माध्यम से प्रेषित लेखे के साथ मूल लेखे के प्रेषण का प्रमाणित विवरण, जैसे रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट की रसीद, संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा, ताकि मूल लेखे की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने खण्ड का मासिक लेखा नियमानुसार तैयार करा कर प्रत्येक माह के **07 तारीख के पूर्व प्रेषित करना सुनिश्चित करें।** विलम्ब से लेखा प्राप्त होने के कारण राज्य लेखा से विलग होने की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी खण्ड की होगी।

भवदीय,

Digitally signed by
Rudrakant Singh
Date: 29-09-2026
09:55:02
वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि०वपें०स०(प्र०)

पत्रांक:ले०ह०-II/नि०वपें०स०(प्र०)/ग्रुप-II/परिपत्र/

दिनांक : 28-09-2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सम्बन्धित खण्डीय लेखाकार / खण्डीय लेखाधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्देशों का अनुपालन तत्परता से करना सुनिश्चित करें।

2. प्रमुख वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, वन विभाग उ०प्र० लखनऊ, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रयोजन हेतु अपने अधीनस्थों को आवश्यक निर्देश प्रदान करें।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी, ITCG अनुभाग को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को DA/DAO के वेबसाइट पर शीघ्रातिशीघ्र host करें।

हस्ता०/-

वरिष्ठ लेखाधिकारी/ नि०वपें०स०(प्र०)